प्रेस नोट

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर एवं पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी भुड़कुड़ा के कुशल निर्देशन मे थाना नन्दगंज पर पंजीकृत मु0अ0स0 251/2020 धारा 302/201 भा0द0वि0 जिसमे एक व्यक्ति की हत्या कर शव को रोड पर फेक दिया गया था। जिसकी शिनाख्त चन्देव बनवासी पुत्र स्व0 सुदर्शन बनवासी निवासी ग्राम मनुआपुर चक अब्दुल बहाव थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर के रूप मे हुयी के अनावरण हेतु टीम गठित किया गया विवेचना से यह तथ्य प्रकाश मे आया कि अभियुक्त राहुल उर्फ राज पुत्र गनेश प्रसाद व मीना देवी पत्नी गनेश प्रसाद निवासीगण ग्राम रजादी थाना नन्दगंज गाजीपुर द्वारा मृतक को अपने घर से भागते समय दौडाकर करीब 50-60 मीटर से पकड़कर घर लाकर लाठी से बेरहमी से मारा पीटा गया व लाश छुपाने के दृष्टि से अभियुक्तों द्वारा मृतक को घसीटकर कन्करीट रोड से करीब 100 मीटर आगे गांव की तरफ फेकने का प्रयास किया गया परन्तु गांव के कुछ लोगों द्वारा देखने व विरोध किये जाने पर वही पर पुनः राहुल द्वारा मृतक के पेट मे लाठी से मारकर राहुल व मीना देवी द्वारा घसीटते हुए पुनः वापस अपने घर के सामने रोड पर लाकर फेक दिया गया अन्दर 24 घण्टे घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश मे आये अभियुक्तगण राहुल उर्फ राज व मीना देवी उपरोक्त की गिरफ्तारी, मुखबिर की सूचना पर दिनांक 01.09.2020 को थानाध्यक्ष थाना नन्दगंज राकेश कुमार सिह व हमराहियान के द्वारा तलवल मोड़ से सुबह करीब 07.00 बजे की गयी। पूछताछ पर अभियुक्त व अभियुक्ता ने जुर्म स्वीकार किया ।

गिरफ्तार अभियुक्त/ अभियुक्ता का विवरण -

1. राहुल कुमार उर्फ राज पुत्र गनेश प्रसाद उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम रजादी थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर।
2. मीना देवी पत्नी गनेश प्रसाद उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम रजादी थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर।

बरामदगी का विवरण-

1. आला कत्ल खूनालूदा लाठी ,एक अदद खूनालूद ईट, जिससे अभियुक्तो द्वारा मृतक को मारना बताया गया ।
2. दो अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –

1.SO राकेश कुमार सिंह
2.का0 अजय कुमार गुप्ता
3.का0 कासिम सिद्धिकी
4.म0का0 आकाक्षा मिश्रा
5.म0का0 प्रियंका शुक्ला
6.म0का0 सोनम सिंह